



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-17 / 2019-1023 दिनांक : 25.10.2019

प्रेषक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनों का पुनर्वास का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रु0 149.499 लाख** (एक करोड़ उनचास लाख उनचालीस हजार चार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ॉन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-28/2019-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-28/2019-62/आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019—20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 149.499 लाख (एक करोड़ उनचास लाख उनचालीस हजार चार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	108.099
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	41.400
कुल :-		149.499

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

1

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल के लिए वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु स्वीकृत 50 हेक्टर स्थल के विरुद्ध मात्र 30 हेक्टर का ही स्थल प्राप्त हुआ है, जिसका उप आवंटन पूर्व में ही कर दी गई है। शेष 20 हेक्टर भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए राशि इस शर्त के साथ उप आवंटित की जा रही है कि स्थल चयन समिति से स्थल का अनुमोदन करकार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-17 / 2019-1023 दिनांक-25.10.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-17 / 2019-1023 दिनांक-25.10.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/ हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	कोडरमा वन प्रमण्डल	20.00	8.437	3.184	11.621
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
3	साठवारा प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	42.184	15.922	58.106
योग :-		170.00	71.713	27.067	98.780

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36385.54	14332.74	50718.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	साठवारा प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	36.386	14.333	50.719
योग :-		100.00	36.386	14.333	50.719
सकल योग :-		270.00	108.099	41.400	149.499


प्रधान मन्त्री वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क. वित्तीय वर्ष 2019-20 अभियुक्ति कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेक्टर	3.00	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेक्टर	7.00	1748.81	0.00	1748.81	
3	घेरान कार्य –			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हेक्टर	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेक्टर अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशेष आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टर (सरंखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेक्टर	36.50	9118.80	0.00	9118.80	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेक्टर	16.50	4122.20	0.00	4122.20	
6	सामग्री (पैलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर टट्टू में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग- 90, कंटूर ट्रैच साइज 5 मीटर x 0.30 x 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हेक्टर	55.00	13740.65	0.00	13740.65	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं सकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य			9706.48	0.00	9706.48	
	योग-		130.00	42184.38	15921.74	58106.12	


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)**

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3	749.49	0.00	749.49	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेक्टेक्टर	7	1748.81		1748.81	
2.2	कंटेबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कंटिंग, रस्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेक्टेक्टर	10	2498.30		2498.30	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आइटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेक्टेक्टर	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेक्टेक्टर 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। खाल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू०मी० 1000 पीट प्रति हेक्टेक्टर (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेक्टेक्टर	22	5496.26		5496.26	
5	मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेन्शन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेक्टेक्टर	45	11242.35		11242.35	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेक्टेक्टर	10	2498.30		2498.30	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हेक्टेक्टर		0.00	2400.00	2400.00	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय रखायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेक्टेक्टर		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेक्टेक्टर		9154.07	0.00	9154.07	
योग :-			109.00	36385.54	14332.74	50718.28	


प्रभान्न भूख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेट) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेट) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।


क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	जी०पी०प्लस० कॉ०-ऑफिनेट्स	प्लॉट नं०	कुल रकम (हेट)
i ii		ii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	हजारीबाग परिचमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	बरही वन प्रक्षेत्र	बरही	कुरकुरी	करकटा-79	N 24° 12'33.96" E 85° 34'32.22"	20, 30, 57	50
								50

योग :-								
साठवाठ प्रक्षेत्र, हजारीबाग	सदर	अमनारी	ईचाक-102	N 24° 04'01" E 85° 43'0.2"	735(P), 736(P), 2514(P), 2515(P) to	35		
साठवाठ प्रक्षेत्र, विष्णुगढ़	बगोदर	कोडाई	बगोदर-85	N 23° 83'25" E 85° 27'0.6"	4, 28, 348, 359, 500, 502	30		
साठवाठ प्रक्षेत्र, माण्ड ^० बरकटा	शिलाईह		बरकटा-108	N 24° 9'34.4" E 85° 39'47.9"	1816, 1823, 1713, 1777	35		
		योग :-				100		
		सकल योग :-				150		

अनुलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेट) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	जी०पी०प्लस० कॉ०-ऑफिनेट्स	प्लॉट नं०	कुल रकम (हेट)
i ii		ii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	सदर	किशुनवा	कटकमसांडी-59	N 24° 01'22.7" E 85° 16'40.3"	1, 2, 3		50
	साठवाठ प्रक्षेत्र, विष्णुगढ़	भुताही मुरगाँव		विष्णुगढ़-200	N 24° 01'44.4" E 85° 71'34.2"	1310, 428, 429, 430		50
		योग :-						100


प्रधान मुख्यमन्त्री संरक्षक, विकास,
जारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/1023

दिनांक -

25-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103	69568	KDMFORA01	843,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SURAJ KUMAR SINGH	रुपये आठ लाख तीरयालीस हजार
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. KODERMA	सात सौ
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789580103	69571	HZBFWL005	2,109,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PATRUNI RAJENDRA	रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		NAIDU	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O., HAZARIBAG	
	01 - वेतन एवं भत्ते		WEST DIV,HZB	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789580103	69574	HZBFWL007	7,857,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NAGENDRA BAITHA, I F S	रुपये अठहत्तर लाख सत्तावन हजार
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O., S. F. DIV.,	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		HAZARIBAG	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
योगः				10,809,900.00
क्रमिक योगः	रुपये एक करोड़ आठ लाख नौ हजार नौ सौ			

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580323	69578	KDMFORA01	318,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये तीन लाख अठारह हजार चार सौ
5	S 19 240601789580323	69579	HZBFWL005	796,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ
6	S 19 240601789580323	69582	HZBFWL007	3,025,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	रुपये तीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ
योग:				4,140,000.00
क्रमिक योग:				14,949,900.00
 (SBI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF DEV JHARKHAND RANCHI				